8/12/2016

आवेदकगण सहित श्री आर.सी. गुप्ता अधिवक्ता। अनावेदक क0–1 व 2 द्वारा श्री तेजपाल सिंह तोमर अधिवक्ता। Plead

अनावेद क0-03 द्वारा श्री ए.के. अग्रवाल अधिवक्ता। प्रकरण आज आवेदक की साक्ष्य हेत नियत है। आवेदक के मुख्य परीक्षण के शपथपत्र पेश हैं । साक्ष्य कराये जाने हेतू पक्षकारों को कहे जाने पर उभयपक्ष ने व्यक्त किया कि उनके बीच समझौते की चर्चा चल रही है। धनराशि को लेकर असहमति है, यदि मामले को मध्यस्थ कार्यवाही हेत् किसी सक्षम मध्यस्थ की ओर भेज दिया जावे तो समझौते की संभावना है। उभयपक्ष के उक्त निवेदन पर चूंकि दुर्घटना दावा क्षतिपूर्ति बाबत है जोकि कल्याणकारी उपबंध है इसलिये माध्यस्थम के माध्यम से एक बार उभयपक्ष के निवेदन पर मध्यरथा कार्यवाही के लिए मामला रिफर करना उचित होगा। अतः रैफरल ऑर्डर तैयार कर प्रशिक्षित मध्यस्थ श्री डी.सी. थपलियाल प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोहद की ओर भेजा जावे और प्रकरण मध्यांतर पश्चात रिपोर्ट हेत् रखा जावे। यदि सुलह नहीं होती है तो फिर साक्ष्य ली जायेगी।

प्रकरण मध्यांतर बाद पेश हो।

(पी.सी) आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड म०प्र0

पुनश्च-

आवेदकगण सहित श्री आर.सी. गुप्ता अधिवक्ता। अनावेदक क0–1 व 2 द्वारा श्री तेजपाल सिंह तोमर अधिवक्ता।

अनावेदक क0—03 द्वारा श्री ए.के. अग्रवाल अधि0। प्रशिक्षित मध्यस्थ श्री डी.सी. थपलियाल की ओर से मध्यस्थ कार्यवाही सफल होने एंव आवेदकगण व बीमा कंपनी के मध्य 04,40,000/—रूपये में सेटिलमेंट हो जाना लेख किया है। पक्षकारों की ओर से लिखित समझौता भी

ची न

सदस्य द्वि मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण गोडत जिला-भिण्ड (म प्र ) Order Sheet [Contd]

14/16 am

Date of Order or Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessary

पेश किया गया है, जिसके संबंध में आवेदकगण जो मृतक के माता पिता हैं और बीमा कंपनी अनावेदक क0-3 की ओर से स्थानीय नियुक्त अभिभाषक का समझौता कथन लेखबद्ध किया गया। जो सेटिलमेंट डीड के अनुरूप पक्षकारों द्वारा बताया गया है। आवेदकगण की पहचान उनके नियुक्त अधि० राकेश चन्द्र गुप्ता द्वारा की गयी है।

अतः पक्षकारां के मध्य हुए समझौता और सेटिलमेंट डीड के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जाना उचित व न्यायसंगत है। फलतः सेटिलमेंट डीड व समझौता के आधार पर आवेदक के पक्ष में अनावेदक क0-3 बीमां कंपनी पर बंधनकारक निम्न आशय का अधिनिर्णय पारित किया जाता है :-

आवेदकगण को मृतक सत्यप्रकाश की दुर्घटना में हुई मृत्यू के एवज में 04,40,000 / - (चार लाख चालीस हजार रूपये अनावेदक क0-3 बीमा कंपनी एक माह के भीतर भगतान हेतू जमा करेगी जो राशि जमा होने पर आवेदकगण जो मृतक के विधिक वारिस हैं उन्हें उक्त राशि में से 01,50,000-01,50,000/-रूपये (डेंढ-डेढ लाख रूपये) तीन वर्ष के सावधि जमा खाते (एफडीआर) के माध्यम से जमा कराये जावें । जिन्हें अधिकरण की अनुमति के बिना आहरित नहीं किया जा सकेगा । शेष क्षतिपूर्ति राशि दोनों आवेदकगण को समान रूप से 70-70 हजार रूपये(सत्तर-सत्तर हजार रूपये) बचत खाते के माध्यम से भूगतान की जावे।

सेटिलमेंट को देखते हुए प्रकरण व्यय पक्षकार स्वयं वहन करेंगे। अधिनिर्णय की आवेदकगण एंव बीमा कंपनी अनावेदक क0-3 को निशुल्क प्रति दी जावे।

परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जावे।

गोहत जिला-भिण्ड (म प्र

मोटर दर्घटना दावा प्राधिकरण